मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3662
10.08.2026 को उत्तर के लिए

पर्यावरण स्वीकृति प्रणाली की समीक्षा

3662. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण स्वीकृति की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा इस संबंध में क्या समयावधि निर्धारित की गई हैं;
(ग) क्या सरकार ने प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मामलों पर परामर्श हेतु पर्यावरण मूल्यांकन से संबंधित समूहों का गठन किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) एवं (ख): पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा एवं सुधार एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय संधारणीय विकास को सुगम बनाते हुए पर्यावरणीय शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया से संबंधित विधिक, नीतिगत एवं प्रशासनिक ढाँचे की समय-समय पर समीक्षा करता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और इसके तहत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, कार्यालय ज्ञापनों और अन्य निर्देशों के प्रावधानों को उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों, परिचालन आवश्यकताओं, न्यायिक घोषणाओं, तकनीकी प्रगति और हितधारकों की प्रतिक्रिया के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए ऐसी समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं के आधार पर, मंत्रालय ईसीए प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 में संशोधन और उचित दिशानिर्देशों और कार्यालय ज्ञापन जारी करने सहित विधायी और प्रक्रियात्मक सुधार करता है, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ग) और (घ) पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना की अनुसूची के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाले परियोजनाओं और गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसी) का गठन किया है। ऐसी परियोजनाओं के लिए स्थल-विशिष्ट पर्यावरणीय पहलुओं, जैसे भूमि उपयोग, जल संसाधन, वायु गुणवत्ता, पारिस्थितिकी, ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और उपयुक्त शमन उपायों को शामिल करते हुए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करना आवश्यक है। इसके अलावा, जहां भी लागू हो, संभावित प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों को परियोजना के संबंध में अपने विचार, चिंताएं और सुझाव देने का अवसर प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया जाता है। सार्वजनिक परामर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों को शामिल करते हुए एक अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) और परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ, केंद्रीय स्तर पर क्षेत्र-विशिष्ट ईएसी द्वारा मूल्यांकन की जाती है। ईएसी की सिफारिशों के आधार पर, ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने या न करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाता है।
